Page: 1 to 4

DATE: 01/10/2020

CLASS: B.A. (H) PART-2ND
SUBJECT: POL. SC.
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 10 (GOVERNOR)
LECTURE NO.- 01 (OCTOBER)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

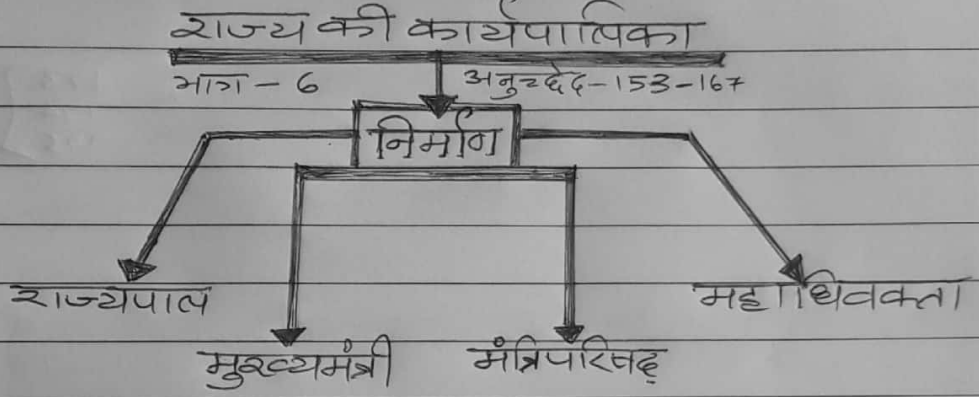

राज्यपाल
GOVERNOR

राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक ~~प्रधान~~ होता है जबकि मुख्यमंत्री, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामलों वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना कार्य करता है।

राज्यपाल से सम्बंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद—

153 — राज्यों के राज्यपाल, इस भाग में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है।

154 — राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, जिसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा।

Scanned with CamScanner

155 — राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का प्रावधान।

156 — कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त।

157 — राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएँ।

158 — राज्यपाल के पद के लिए शर्तें एवं वेतनभत्ते के सम्बंध में प्रावधान।

159 — राज्यपाल द्वारा शपथ।

160 — कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन।

161 — क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।

164 — राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।

165 — राज्यपाल द्वारा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त तक रहता है।

174 — राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन की शक्ति।

175 — सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार।

176 — राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।

201 — कोई विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाना।

213 — अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति।

233 — राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

राज्यपाल की नियुक्ति :

अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश उसकी नियुक्ति करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह संघ एवं राज्य सरकार के बीच एक पुल का काम करता है।

योग्यताएँ एवं शर्तें :-

(i) भारत का नागरिक हो।
(ii) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
(iii) किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अन्तर्गत लाभ का पद न धारण करता हो।
(iv) संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसका संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

शपथ :-

अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल सम्बंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। वह संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा की शपथ के साथ-साथ लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी देता है।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

कार्यकाल :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में उल्लेख किया गया है कि 'राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।'

सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन्तु इससे पहले भी वह चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा से मुक्ति ले सकता है या राष्ट्रपति उसे कार्यमुक्त कर सकता है।

राष्ट्रपति, राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्ति के बाद नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल को इससे सम्बंधी प्रावधान संविधान में उल्लेखित नहीं है।

सम्भावित प्रश्न :

राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। इसकी योग्यताएँ एवं शर्तों का उल्लेख कीजिए।

Scanned with CamScanner